

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 29.08.2024\***

**\*दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता तौलन पुत्र तेजू निवासी सरहरी थाना मेहदावल जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-** उ0नि0 श्री जितेंद्र सिंह, का0 सोनू कुमार, का0 शरद कुमार राय ।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- \*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- \*थाना महुली पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- \*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- \*थाना बखिरा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 1,11,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 29.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 1,11,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 29.08.2024\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी करते हुए रुपए चोरी करने के मामलें में 02 अभियुक्तों को 05 अदद ए0टी0एम0 कार्ड, 01 अदद वायरलेस ब्लूटूथ, 01 अदद पतली प्लेट स्टील व 20,500रु0 के साथ किया गया गिरफ्तार\***

**\*दिनांक 28.08.2024 को वादी हरिशंकर कुमार पता राधा कृष्णाभवन नियर कबीर हास्पिटल गोरखल खलीलाबाद संतकबीरनगर हा0प0 शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा खलीलाबाद द्वारा थाना कोतवाली पर उक्त दो अभियुक्तों के विरुद्ध सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के मोतीनगर खलीलाबाद में लगे ए0टी0एम0 बूथ में जाकर पैसे के निकलने वाले स्थान ए0टी0एम0 सटर बॉक्स में प्लास्टिक की पट्टी लगा देने जिससे किसी व्यक्ति द्वारा पैसा निकालने पर पैसा आकर वहीं रुक जाने तथा उक्त अभियुक्तों द्वारा समय पाकर ए0टी0एम0 से पट्टी निकालकर उक्त पैसे की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 654/2024 धारा 318(4), 303(2) बी0एन0एस0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था\* ।**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस\*** द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. जान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मितौली थाना मितौली जनपद लखीमपुरखीरी 2. रवि कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखपुर जनपद गोरखपुर को 05 अदद ए0टी0एम0 कार्ड, 01 अदद वायरलेस ब्लूटूथ, 01 अदद पतली प्लेट स्टील व 20,500रु0 के साथ एनएच 28 सर्विस रोड बरदरिया बाजार के पास से आज दिनांक 29.08.2024 को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी करते हुए नियमानुसार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

1. जान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मितौली थाना मितौली जनपद लखीमपुरखीरी
2. रवि कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखपुर जनपद गोरखपुर

**\*बरामदगी-\***

05 अदद ए0टी0एम0 कार्ड, 01 अदद वायरलेस ब्लूटूथ, 01 अदद पतली प्लेट स्टील व 20,500रु0

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

**मु0अ0सं0 654/2024 धारा 318(4), 317(2) 303(2) बी0एन0एस0 जनपद संतकबीरनगर ।**

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-\*** उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, का0 सुनील पाल ।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 29.08.2024\***

**\*थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, छिपाकर रखने व आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना दुधारा पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 333/2024 धारा 87 बीएनएस के मामले में 03 नफर अभियुक्तगण नाम पता 1. मो0 आसिफ पुत्र मो0 एजाज निवासी रजगनपुर पचदेउरा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. शहबाज पुत्र मो0 हसन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 3. असगर पुत्र मुसीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 29.08.2024 को तिनहरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.08.2024 को थाना दुधारा पर वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर 140(3), 142, 61(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा उक्त अभियुक्तगण 1. मो0 आसिफ उपरोक्त 2. शहबाज उपरोक्त 3. असगर उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, का0 अमित कुमार पटेल, का0 मुकेश कुमार, का0 विनोद यादव।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 29.08.2024\***

**\*थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित  
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **\*श्री केशवनाथ\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना मेहदावल पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 217/2024 धारा 87/64(2)ड बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अहमद अली पुत्र साकिन अली निवासी कौलपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 29.08.2024 को सेखुई मोड़ कौलपुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.08.2024 को थाना मेहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना मेहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 वीरेंद्र चौधरी, का0 रोहित कुमार ।